रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-31032022-234732 CG-DL-E-31032022-234732

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1482] No. 1482] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2022/चैत्र 10, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2022/CHAITRA 10, 1944

## श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2022

का.आ. 1534(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 अप्रैल, 2022 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध तमिलनाडु राज्य के नागपट्टिनम जिले के सभी क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात्,—

- (i) अध्याय 4 की धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, धारा 42, धारा 43 और धारा 45क से धारा 45ज तक;
- (ii) अध्याय 5 की धारा 46 से धारा 73 तक; और
- (iii) अध्याय 6 की धारा 74, धारा 75, धारा 76 की उपधारा (2) से उपधारा (4) तक, धारा 80, धारा 82 और धारा 83।

[फा. सं. एस-38013 / 01 / 2022-एस.एस-I] आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव,

2300 GI/2022 (1)

## MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2022

- **S.O.** 1534(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1<sup>st</sup> day of April, 2022, as the date on which the provisions of the said Act, namely,—
  - (i) sections 38, 39, 40, 41, 42, 43 and sections 45A to 45H of Chapter IV;
  - (ii) sections 46 to 73 of Chapter V; and
  - (iii) sections 74, 75, sub-sections (2) to (4) of section 76, 80, 82 and 83 of Chapter VI;

shall come into force in all the areas of Nagapattinam district in the State of Tamil Nadu.

[F. No. S-38013/01/2022-SS.-I]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.